भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2335
07.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

एचपीएफ, ऊटी की परिसमापन एवं निपटान कार्यवाही

2335 श्री कमल हासन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी की परिसमापन एवं निपटान कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने परिसमापन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात कंपनी की भूमि, भवनों तथा अन्य अवसंरचना के उपयोग अथवा पुनर्विकास हेतु कोई योजना तैयार की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने फिल्म संरक्षण एवं पुनर्स्थापन, मीडिया प्रौद्योगिकी, एनिमेशन, कौशल विकास अथवा अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को समर्थन देने हेतु एचपीएफ परिसर के पुनर्प्रयोजन की व्यवहार्यता की जांच की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अपने दिनांक 28.02.2014 के निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) के परिसमापन का निर्णय लिया था। वर्तमान में एचपीएफ माननीय एनसीएलटी, चेन्नई के दिनांक 31.03.2023 के आदेश के अनुसार परिसमापनाधीन है तथा सरकारी परिसमापक (ओएल) की नियुक्ति की जा चुकी है। कंपनी की स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियों का पूर्ण परिसमापन कर दिया गया है तथा प्राप्त राशि का वितरण भी पूरा हो चुका है। तथापि,

पट्टाधारित भूमि पर स्थित कंपनी का भवन एकमात्र ऐसी परिसंपत्ति है, जिसका निस्तारण अभी शेष है। इस संबंध में परिसमापन समिति ने वैकल्पिक रूप से राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि यदि वह उक्त भूमि को पुनः अपने अधीन लेना चाहती है, तो कंपनी के भवन के संबंध में उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

(ख) एवं (ग): वर्तमान में, कंपनी की परिसमापन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उसकी भूमि, भवनों तथा अन्य अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के उपयोग अथवा पुनर्विकास के लिए कोई योजना बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****